संख्या–3269/सेक–2–पांच–13–7(199)/13

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परि0क0, उ0प्र0।
2– समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
3– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 19 अगस्त, 2013

विषयः–प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में प्रशिक्षित एवं अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने व यूनीफार्म पहनने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कतिपय राजकीय चिकित्सालयों/ चिकित्सा इकाईयों में अप्रशिक्षित एवं अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा चिकित्सकीय कार्य किये जा रहे है तथा इंजेक्शन आदि लगाये जा रहे हैं, जो अत्यन्त आपत्तिजनक है। इस संबंध में पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के बावजूद भी इस प्रकार के प्रकरण के संज्ञान में आने को शासन ने अत्यन्त गंभीरता से लिया है।

2– अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि राजकीय चिकित्सालयों में इमरजेंसी/ओ0पी0डी0 एवं वार्डों आदि में भर्ती रोगियों को इन्जेक्शन/ड्रिप आदि लगाने, दवा वितरण तथा अन्य चिकित्सीय कार्य केवल अधिकृत एवं प्रशिक्षित स्टाफ (फार्मासिस्ट/स्टाफ नर्स) से ही सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि चिकित्सालय में कार्यरत सभी चिकित्सा कर्मी अपनी नाम पट्टिका (नेम प्लेट) सहित यूनीफार्म में ही ड्यूटी पर कार्य करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि रोगियों एवं उनके तामीरदारों को जानकारी हो सके कि वे चिकित्सालय के अधिकृत स्टाफ हैं।

3– यदि किसी राजकीय चिकित्सालय किसी अनधिकृत/अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा रोगियों के इन्जेक्शन आदि लगाने एवं चिकित्सकीय कार्य किये जाने, बिना यूनीफार्म के ड्यूटी पर कार्य करने की शिकायत प्राप्त होती है तो, चिकित्सालय के प्रशासनिक अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी सहित संबंधित स्टाफ को दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–3269 (1)/सेक–2–पांच–13, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण।
3. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक (उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक (पैरामेडिकल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
7. निजी सचिव, मा0 राज्यमत्री जी (श्री शंखलाल माझी/श्री नितिन अग्रवाल), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मधु जोशी

(मधु जोशी)

संयुक्त सचिव।

ऽ/C